राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 97/2013/झुन्झुनु.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय,
झुन्झुनु, मुख्यालय–चिड़ावा .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नत्थूराम सैनी, ग्राम–ढ़ाणा,
सिंघाना, झुन्झुनु. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.
अनुपस्थित .....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/07/2017

निर्णय

1- उक्त अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–झुन्झुनु (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) वर्ष 2009–10 के लिये पारित आदेश दिनांक 01.03.2012 के विरुद्ध प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया, जिससे विभाग द्वारा क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

2. विभागीय पैराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 28.08.2012 जिसे राजस्व द्वारा विवादित किया गया है। उसमें यह निर्णय दिया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना जो कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.03.2012 पारित किया गया है वह नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध होने से उसे पुनः सुनवाई कर न्यायिक आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। राजस्व की अपील में ऐसा कोई बिन्दू नहीं है जो सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्णय को गलत बता सके या नैसर्गिक न्याय सिद्धांत की पालना नहीं करने को उचित बता सके। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई के अवसर देने के आदेश के साथ निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

28/7/2017

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

28/7/2017

(के.एल.जैन)
सदस्य